कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
मोतीमहल, ग्वालियर

क्रमांक/रसायन शाला/ 63 — ग्वालियर, दिनांक 17 जून 1998

प्रति,

1. समस्त जिला आबकारी अधिकारी
 म ध्य प्र दे श

2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी,
 आसवनी/विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई - - - - - -
 -
 -म.प्र.

विषय :- मोलासिस की गुणवत्ता निर्धारण तथा विदेशीमदिरा विनिर्माण इकाईयों में निर्मित विदेशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेम्पलों की जॉच ।

सन्दर्भ :-1. इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक रसायन शाला/359 दिनांक 19.3.96
 2. इसकार्यालय का परिपत्र क्रमांक रसायन शाला/110 दिनांक 12.7.96

---==::0::==—

आसवानियों में स्प्रिट के निर्माण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले मोलासिस के किण्वन योग्य शुगर की मात्रा के निर्धारण तथा विदेशी मदिरा विनिर्माणइकाईयों में निर्मित विदेशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रसायनिक परीक्षण हेतु नमूने प्राप्त करने की प्रक्रिया बाबत स्पष्ट निर्देश इस कार्यालय के सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा प्रसारित किये गये है । स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आसवानियों/इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा सैम्पलिंग के समय पूर्ण सतर्कता एंव सावधानी नहीं बरती जाती है, तथा नमूने लेने के बाद उन्हें काफी विलम्ब से परीक्षण के लिए भेजा जाता है, और नमूनेाके लेबल पर उपरोक्त परिपत्रों में बतायें अनुसार जानकारी नहीं लिखी जाती है । इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक रसायन शाला/110 दिनांक 12.7.96 से इस आशय के स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि प्रदेश में स्थित समस्त विनिर्माण इकाईयों अथवा बोतल भराई इकाईयों में विनिर्मित विदेशी मदिरा के प्रत्येक बैच के नमूनों का संबंधित इकाईयों में स्थानीय प्रयोगशाला में निरन्तर रूप से रसायनिक परीक्षण कराने के अलावा प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार विदेशी मदिरा के बेतरतीब ढंग से नमूने

लेकर रासायनिक परीक्षण हेतु विभागीय अथवा अन्य किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला को भेजेगें। यह देखा जा रहा है कि आसवानियों तथा विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों द्वारा केवल कुछ ही ब्राण्डों के या केवल एक ही ब्राण्ड की मदिरा के सेम्पल लेकर परीक्षण कराया गया है।

2. अतः इस संबंध में आपको निर्देश दिये जाते है कि उक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार तथा नमूना प्राप्त करने की बताई गई प्रक्रिया अनुसार ही नमूने लिए जावे, और नमूने सील करने के बाद किसी प्रकार का विलम्ब न करते हुये उन्हें तत्काल ही परीक्षण के लिए भेजा जावे। आसवानियों तथा विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों द्वारा निर्मित स्प्रिट/विदेशी मदिरा के प्रत्येक ब्राण्ड की मदिरा का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला अथवा प्राधिकृत प्रयोगशाला में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य कराया जावे।

17/6/98

(आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर आबकारी आयुक्त,
मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 17.6.98

पृ.क्र./रसायन शाला/54

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय (उ.द.) भोपाल म.प्र.।
2. समस्त संभागीय उपायुक्त आबकारी म.प्र.।
3. प्रभारी अधिकारी (आसवनी/बॉटलिंग इकाई एंव वेयरहाउस) ---------------

को ओर सूचनार्थ।

17/6/98

अपर आबकारी आयुक्त
मध्य प्रदेश